विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के वित्तीय लेन–देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इसमें छः अध्याय अन्तर्विष्ट है। अध्याय-I में संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त परिचय है जबकि अध्याय-II से V विस्तृत लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ प्रस्तुत करते है। अध्याय VI मंत्रालय के अन्तर्गत विभाग द्वारा भेजे गये की गई कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षेपण स्थिति प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये है:

दूरसंचार विभाग (दू वि)

दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन

दूरसंचार क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों अर्थात 2007-08 से 2011-12 में 216 *प्रतिशत* की प्रभावशाली वृद्वि हुई। दू वि मुख्यालय व टर्म सैल द्वारा अप्रभावी मानीटरिंग व खराब नियंत्रण के कारण अभिदाताओं का शत प्रतिशत सत्यापन जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक है, सेवा प्रदाताओं द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के सात वर्षो के बाद भी नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, जब दू वि ने प्रत्येक सेवा अभिदाता की लेखापरीक्षा जांच कुल अभिदाताओं का 0.1 *प्रतिशत* तक सीमित कर दी थी, बड़ी संख्या में गैर अनुपानलनकर्ता कैफ्स का पता नही लग सका तथा सात दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा ₹2116.95 करोड़ की शास्ति का भुगतान नही हुआ।

पैराग्राफ 2.1

सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना

दू वि की सांझी मोबाइल अवसंरचना का मुख्य उद्देश्य अनाच्छादित क्षेत्रों जिनमें ग्रामीण, दूरदराज, पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं, में वैश्विक सेवा दायित्व निधि के अर्न्तगत बेतार अथवा मोबाइल सेवायें प्रदान करना है। यह लक्ष्य केवल 72 *प्रतिशत* तक ही प्राप्त किया जा सका क्योंकि अवसंरचना संभरकों द्वारा निर्मित 6026 स्थलों से सेवायें अक्तूबर 2012 तक यू एस पी द्वारा प्रदान नही की गई थी। इसके अतिरिक्त दू वि ने अवसंरचना संभरकों को गैर विकिरण अवधि के लिये ₹9.76 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी (290 स्थलों का प्रबन्धन करने हेतु जहां पर किसी यू एस पी द्वारा सेवायें शुरू नही की गई थी तथा 474 स्थल जहां सेवायें असाधारण विलम्ब से प्रदान की थी)।

पैराग्राफ 2.2

रिलायंस ग्रुप कम्पनियों द्वारा यू एस ओ एफ/यू ए एस लाइसेंस करार के निबंधन व शर्तों का उल्लंधन

यू एस ओ एफ/यू ए एस एल करार के निबंधनों व शर्तों के उल्लंधन में मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा मोबाइल सेवाओं को एक तरफा बंद किये जाने के कारण उनको आबंटित दूररदाज व अगम्य क्षेत्र, वहन करने योग्य मोबाइल सेवाओं से वंचित रहे।

पैराग्राफ 2.3

डाक विभाग (डा वि)

डाक विभाग (डा वि) के डाक लेखा कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण

डाक विभाग के पास लेखों को बनाने व अनुरक्षण हेतु एक व्यापक, सम्पूर्ण व विस्तृत तंत्र होने के साथ–साथ निर्धारित जांच व संतुलन भी यह सुनिश्चित करने के लिये है कि नियंत्रण प्रभावपूर्ण है तथा लेखा उचित रीति से तैयार किये हैं तथा विभिन्न प्राधिकृत माध्यमों के द्वारा समय पर प्रस्तुत किये गये है, डाक विभाग ने विद्यमान नियंत्रण तंत्र को उचित महत्व नहीं दिया। परिणामस्वरूप, 2009 से बैंक समाधान कार्य बकाया था, इसके कारण बैंक से ₹19354.89 करोड़ के आहरण तथा ₹26637.83 करोड़ की राशि के प्रेषण के सम्बंध में बैंक स्क्रोल व डाकघर अनुसूची, दोनों में मदें असम्बद्ध रहीं। 2790228 नकद प्रमाणपत्रों जिनका मूल्य 13 डा ले का में ₹1420.90 करोड़ है, को जारी करने व उन्मोचन करने की पोस्टिंग का कार्य अप्रैल 1999 से बकाया था। नकद प्रमाणपत्रों की आपत्ति पुस्तिका में ₹19433.97 करोड़ की बकाया राशि मार्च 2012 तक असमायोजित रही। इसके अतिरिक्त, 15 डाक लेखा कार्यालयों में आकस्मिक व्यय के गैर समायोजन में ₹367.40 करोड़ में से ₹70.57 करोड़ का समाधान किया गया। पेंशन में ₹38.04 करोड़ (कमीशन सहित) की वसूली अन्य विभागों से उनकी तरफ से पेंशन भुगतान के लिये की जानी थी।

पैराग्राफ 3.1

वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का अनियमित दावा

डाक विभाग ने वित्त मंत्रालय (वि मं) से तकनीकी रूप से पुनः चालू हुये निष्क्रिय खातों पर 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिये ₹18.60 करोड़ के पारिश्रमिक का अनियमित रूप से दावा किया था, इसमें गुजरात, तमिलनाडु व राजस्थान डाक परिमंडलों द्वारा कोई सुसंगत प्रयास नही किया गया।

पैराग्राफ 3.2

राजस्व की हानि

विभागीय अनुदेशों के उल्लंघन में, समाचारपत्र जो कि आर एन आई के साथ पंजीकृत नहीं किये गये थे, को रियायती टैरिफ प्राप्त करने हेतु अनुमत किया, जिसके परिणास्वरूप तमिलनाडु डाक परिमंडल में ₹8.91 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

पैराग्राफ 3.3

व्यर्थ व्यय

डा वि 2004 में क्रय किये गये बोगियों के उपयोग हेतु प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

पैराग्राफ 3.4

झारखंड डाक परिमंडल में वृद्वावस्था पेंशन के संवितरण के लिये सेवा प्रभार वसूल करने में विफलता

दिसम्बर 2005 के डाक निदेशालय के अनुदेशों के उल्लंघन में, चीफ पोस्टमास्टर जनरल झारखण्ड डाक परिमण्डल 2008-2013 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्वावस्था पेंशन के संवितरण के लिये ₹1.52 करोड़ के सेवा प्रभार वसूल करने में विफल रहे।

पैराग्राफ 3.5

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई)

दोषपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश

एस टी क्यू सी निदेशालय द्वारा दोषपूर्ण उपस्कर बदलने हेतु पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्व लागू न कर पाने की विफलता से उपस्कर चालू नहीं हो पाये व ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त तीन इलेक्ट्रनिक्स परीक्षण प्रयोगशालायें, जिनके लिये उपस्कर की अधिप्राप्ति की गई थी, उद्योगो को विशेष परीक्षण सेवायें नही दे सकीं।

पैराग्राफ 4.1

अप्लाईड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी व अनुसंधान के लिये सोसायटी (समीर) में परियोजना प्रबन्धन

समीर द्वारा ली गई परियोजनाओं की नमूना जांच में खराब वित्तीय प्रबन्धन, परियोजना दिशानिर्देशों का गैर निर्माण, केन्द्रीकृत परियोजना क्रियान्वयन व मानीटरिंग प्रणाली की कमी, लागत व कीमत निर्धारण में खामियां तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों पर सुपरिभाषित नीति की कमी, प्रौद्योगिकी

स्थानान्तरण व पेटेन्ट अधिकारों की कमी का खुलासा हुआ। विगत पांच वर्षों में ₹200 करोड़ से अधिक व्यय करने के बाद भी, समीर केवल तीन पेटेन्ट तथा एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त करने में समर्थ रहा जो उसके आर एवं डी की खराब गुणता को दर्शाता है।

पैराग्राफ 4.2

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ)

भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबन्धन

यधपि कम्पनी एक दशक से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में है, उसके पास कोई भूमि प्रबंधन नीति नही है। इसके न होने के कारण कम्पनी इसके कब्जे में बहुत बड़ी फैली हुई पूर्ण स्वामित्व की 402.99 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण/निरस्तीकरण से बचाने में असमर्थ रही क्योंकि कम्पनी को अपने नाम पर उत्तराधिकार में प्राप्त जमीन के हस्तांतरण/नामांतरण/परिवर्तन करने में असाधारण विलंब हुआ। इसके अलावा घाटे में रहने वाली कंपनी खाली भूखंडों के व्यावसायिक कार्य में लेते हुए अतिरिक्त राजस्व उगाहने की दिशा में भी असमर्थ रही। कंपनी के सिविल विंग द्वारा दी गयी जानकारी और इसके लेखापरीक्षित लेखों में दर्शाये गये आंकड़ो में कम्पनी की उत्तराधिकार में प्राप्त जमीन व पट्टे पर ली गयी जमीन की कीमतों में भारी अंतर पाया गया, जिसके कारण कंपनी की परिसम्पत्तियां वार्षिक लेखा में कम परिलक्षित हुई है।

पैराग्राफ 5.1

288 एफ हाई काउन्ट आप्टीकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

फील्ड इकाइयों से बिना किसी मांग के भा सं नि लि द्वारा 288 एफ हाई काउन्ट आप्टीकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक समय तक प्राप्त हुई केबिलों का 50 *प्रतिशत* से अधिक उपयोग नहीं हुआ, इससे ₹41.30 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 5.2

अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति पर ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन

भा सं नि लि के परिमंडल/इलेक्ट्रिकल विंग द्वारा एस एम पी एस पावर प्लांट तथा वातानुकूलित इकाइयों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण एक वर्ष से चार वर्षो से अधिक समय तक उनका उपयोग नहीं हुआ। इससे 1,612 एस एम पी एस पावर प्लांट व 617 वातानुकूलित इकाइयां निष्क्रिय रही तथा परिणामताः ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 5.3

₹ 2.09 करोड़ का अधिक भुगतान तथा ₹ 8.12 करोड़ का अधिक कार्य प्रदान किया जाना

भा सं नि लि के मिजोरम एस एस ए में आन्तरिक नियंत्रण की विफलता से ₹8.12 करोड़ के अतिरिक्त कार्य प्रदान किये गये तथा केबिल कार्यो के निष्पादन में निजी ठेकेदार को ₹2.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 5.4

भा सं नि लि में अर्न्तराष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा का प्रचालन

अर्न्तराष्ट्रीय समुद्री केबिल संघ में शामिल होने में देरी और विफलता के कारण भा सं नि लि द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय लम्बी दूरी (अ लं दू) सेवा के प्रचालन में कमियां पाई गई। आगे चलकर इसी के कारण अ लं दू सेवा के प्रचालन में बैंडविथ की क्षमता के कम उपयोग और बैंडविथ को प्राप्त करने में परिहार्य व्यय हुआ।

पैराग्राफ 5.5

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) में वायरलाइन व बेतार सेवाओं के परिचालन का प्रदर्शन

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रचालनात्मक प्रदर्शन ने सेवा की खराब गुणता दर्शाई। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विद्यमान उपस्कर के अनुरक्षण में कमी के साथ–साथ प्रचालन लागत भी बढ़ गई थी। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अप्रभावी योजना व मॉनीटरिंग के कारण वायरलाइन ग्राहकों के अभिदाता बेस में बड़ी गिरावट आई। बेतार अभिदाताओं की कम वृद्धि के लिये अप्रभावी योजना, बेतार अवसंरचना उपस्कर का विलम्बित विस्तार, सेवा की खराब गुणता जिम्मेदार घटक है। इसने मार्केट शेयर को प्रभावित किया व बाद में सेवाओं से आय में कमी भी आई।

पैराग्राफ 5.6